मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 673/2018 NEWS ITEM PUBLISHED IN "THE HINDU" AUTHORED BY SHRI JACOB KOSHY TITLED "MORE RIVER STRETCHES ARE NOW CRITICALLY POLLUTED: CPCB VS CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD" में पारित आदेशों के अनुपालन में कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित River Rejuvenation Committee (RRC) की दिनांक 01.10.2026 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 673/2018 NEWS ITEM PUBLISHED IN "THE HINDU" AUTHORED BY SHRI JACOB KOSHY TITLED "MORE RIVER STRETCHES ARE NOW CRITICALLY POLLUTED: CPCB VS CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD" में पारित आदेशों के अनुपालन में कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित River Rejuvenation Committee (RRC) की बैठक दिनांक 01.10.2026 को अपराह्न 12:30 बजे, बहुखण्डीय भवन स्थित ए०पी०सी० सभाकक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

2 - सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदर्शित की गयी रिपोर्ट में अंकित बिन्दुओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आच्छादित प्रदूषित नदी खण्डों की जल गुणवत्ता में सुधार एवं नदियों के जीर्णोद्धार हेतु की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में रिवर रिजुवनेशन कमेटी द्वारा समीक्षा किया जाना है।

3- सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एजेण्डा-01 के क्रम में अवगत कराया गया कि नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार प्रदेश में 3312 नाले चिह्नित किये गये हैं, जिनमें कुल फ्लो की मात्रा 8220.74 एम०एल०डी० है। उक्त 3312 नालों में छोटे-बड़े समस्त नाले आच्छादित हैं तथा 1385 नाले ही नदियों में निस्तारित होते हैं। उक्त 3312 नालों में से प्राथमिकता के आधार पर 485 नाले टैप किये गये हैं एवं 27 नाले आंशिक रूप से टैप किये गये हैं, 13 नाले ड्राई हैं तथा 2787 नाले अनटैप्ड हैं।

इस संबंध में यह मत स्थिर किया गया कि नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आगामी बैठक से पूर्व उक्त समस्त 3312 नालों के सम्बन्ध में नालों की प्राथमिकता तय करते हुए टैपिंग, इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन तथा एस०टी०पी० से शोधन की टाइमलाइन प्रदर्शित करते हुए एवं इसके साथ-साथ हाउस-टू-हाउस सीवर कनेक्टिविटी के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही एवं कार्ययोजना का विवरण तैयार किया जाए।

(कार्यवाही: नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन)

4- सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुतीकरण में एजेण्डा बिन्दु-1 के अन्तर्गत अवगत कराया गया कि प्रदेश में कुल अनुमानित जनित सीवेज की मात्रा 6415 एम०एल०डी० है, जिसके सापेक्ष स्थापित एस०टी०पी०-160 (4836.08 एम०एल०डी०) हैं, जिनमें से 152 एस०टी०पी० संचालित हैं, जिनकी उपयोग शोधन क्षमता 3777.08 एम०एल०डी० है तथा 62 एस०टी०पी० (1333.05 एम०एल०डी०) निर्माणाधीन हैं। माह-अगस्त 2026 में बोर्ड द्वारा कराये गये अनुश्रवण के आधार पर संचालित 160 एस०टी०पी० में से 11 एस०टी०पी० मानकों के अनुरूप सीवेज का शोधन नहीं कर रहे हैं, 07 एस०टी०पी० संचालित नहीं हैं एवं 01 एस०टी०पी० अण्डर ट्रायल है।

इस संबंध में यह मत स्थिर किया गया कि नगर विकास विभाग तथा नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में स्थापित एस०टी०पी० को पूर्ण क्षमता पर संचालित किया जाए तथा निर्माणाधीन एस०टी०पी० का निर्माण कार्य निर्धारित टाइमलाइन में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा असंचालित एस०टी०पी० को संचालित किये जाने हेतु त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही: नगर विकास विभाग / नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन / जल निगम (नगरीय एवं ग्रामीण))

5- सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुतीकरण में एजेण्डा बिन्दु-1 के क्रम में अवगत कराया गया कि प्रदेश में 07 कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान्ट (सी०ई०टी०पी०) स्थापित हैं, जिनमें से माह अगस्त में 05 सी०ई०टी०पी० मानकों के अनुरूप उत्प्रवाह निस्तारण करते हुए पाये गए, 01 सी०ई०टी०पी० मानक के अनुरूप संचालित नहीं है तथा 01 सी०ई०टी०पी० वर्तमान में संचालित नहीं है। इसी क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में 762 नगर निकाय हैं। कुल अनुमानित जनित ठोस अपशिष्ट की मात्रा 20114 टन/दिन है, जिसके सापेक्ष प्रदेश में कुल ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग क्षमता 20746 टन/दिन है तथा 10892 टन/दिन क्षमता के 214 प्लान्ट निर्माणाधीन हैं, जिनकी लक्षित टाइमलाइन अक्टूबर-2026 है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनित ठोस अपशिष्ट की मात्रा 11959 टन/दिन है, जिसके सापेक्ष कम्पोस्ट पिट्स, बायोगैस प्लान्ट आदि के माध्यम से 11540.94 टन/दिन ठोस अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रदेश के अन्तर्गत कन्स्ट्रक्शन एवं डिमॉलिशन वेस्ट की अनुमानित मात्रा 2011 टन/दिन है, जिसके सापेक्ष निस्तारण हेतु 2055 टन/दिन की क्षमता वाले प्लान्ट संचालित हैं तथा 350 टन/दिन के 3 प्लान्ट निर्माणाधीन हैं, जिनकी लक्षित टाइमलाइन दिसम्बर-2026 है एवं 190 टन/दिन क्षमता के प्लान्ट प्रस्तावित हैं।

इस संबंध में यह मत स्थिर किया गया कि अग्रिम बैठक से पूर्व नगर विकास विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में निकायवार जनित ठोस अपशिष्ट एवं प्रोसेसिंग क्षमता के सम्बन्ध में विवरण टाइमलाइन सहित प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं कन्स्ट्रक्शन एवं डिमॉलिशन वेस्ट की जनपदवार मैपिंग नगर विकास विभाग एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही: नगर विकास विभाग / आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन)

6- सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एजेण्डा-01 के क्रम में अवगत कराया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 1797 ग्रॉसली पॉल्यूटिंग इण्डस्ट्रीज चिह्नित की गयी हैं, जिनमें से सितम्बर, 2026 तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट द्वारा 848 निरीक्षण किये गये हैं, जिसमें से 590 औद्योगिक इकाइयों की रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की गयी है। इनमें से 68 औद्योगिक इकाइयाँ नॉन-कम्प्लाइंग पायी गयी हैं। उक्त नॉन-कम्प्लाइंग इकाइयों के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

7- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2022 एवं 2023 में नदियों के अनुश्रवण के आधार पर तैयार की गयी रिपोर्ट माह अक्टूबर, 2025 के अनुसार प्रदेश के अन्तर्गत 16 पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज आच्छादित हैं। उक्त 16 पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज में से 13 पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज हेतु प्रदूषण की रोकथाम हेतु पूर्व में तैयार किये गये रिवर एक्शन प्लान को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है तथा राज्य बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। शेष 03 पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज क्रमशः रिहन्द नदी, काली (पश्चिम) तथा बहेला नदी के रिवर एक्शन प्लान तैयार किये गये हैं, जिनका रिवर रिजुवनेशन समिति द्वारा अनुमोदन किया जाना अपेक्षित है।

बैठक में रिहन्द नदी, काली (पश्चिम) तथा बहेला नदी के रिवर एक्शन प्लान के अवलोकनोपरान्त यह मत स्थिर किया गया कि उक्त एक्शन प्लान के विभिन्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से वित्तीय प्राविधान, अन्य विभागों एवं भारत सरकार से अपेक्षाएं तथा अन्य तकनीकी सुझाव एवं कमेन्ट्स प्राप्त कर लिया जाए। तदोपरान्त उक्त रिवर एक्शन प्लान के अनुमोदन हेतु समिति की पृथक से शीघ्र बैठक आहूत कराकर प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही: नगर विकास विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

8- प्रस्तुतीकरण के क्रम में एजेण्डा बिन्दु संख्या-03 पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में केन्द्रीय अनुश्रवण समिति की 21वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा इंगित किया गया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की ने रुड़की में 100 घरों की एक कॉलोनी विकसित की है तथा उनके द्वारा स्वयं के स्थापित एस०टी०पी० से उपचारित जल का पुनः उपयोग किया जा रहा है। इस तरह के विकेन्द्रीकृत मॉडल देश भर के अन्य शहरों में भी अपनाये जाने का सुझाव दिया गया था।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर

प्रदेश सरकार द्वारा शोधित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु उ०प्र० राज्य नीति (सेफ रियूज्ड ऑफ ट्रीटेड वाटर पॉलिसी) 2026 शासन के पत्र दिनांक 01-04-2026 के माध्यम से जारी की गयी है, जिसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की है। इस नीति के अनुसार एस०टी०पी० से उपचारित जल के पुनः उपयोग के समान विकेन्द्रीकृत मॉडल को राज्य भर की शहरी कॉलोनियों और आवासीय परियोजनाओं में भी लागू किये जाने के सम्बन्ध में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को पत्र दिनांक 14-05-2026 प्रेषित किया गया है।

(कार्यवाही: नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन)

9- सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एजेण्डा-04 के क्रम में अवगत कराया गया कि गाजियाबाद में 07 नालों की टैपिंग एवं 180 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के निर्माण तथा 70 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के अपग्रेडेशन हेतु डी०पी०आर० तैयार कर राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र० द्वारा पत्र दिनांक 17-06-2026 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है।

(कार्यवाही: नगर विकास विभाग / नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन / जल निगम (नगरीय एवं ग्रामीण))

10- सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एजेण्डा-05 के क्रम में अवगत कराया गया कि मेरठ में ड्रेन के नदी में निस्तारण बिन्दु के निकट चिह्नित भूमि, जिस पर एस०टी०पी० का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित था, कैन्टोनमेंट बोर्ड के अन्तर्गत आच्छादित होने के कारण रक्षा मंत्रालय से एस०टी०पी० के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। उक्त एस०टी०पी० के निर्माण हेतु अन्य स्थल चिह्नित कर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त स्थल पर 65 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० हेतु डी०पी०आर० अन्तिम चरण में है तथा अनुमति हेतु प्रस्ताव मण्डलायुक्त, मेरठ स्तर पर लम्बित है।

इस संबंध में यह मत स्थिर किया गया कि मण्डलायुक्त, मेरठ से समन्वय कर 03 दिन के अन्दर प्रस्ताव की अनुमति प्राप्त कर ली जाए।

(कार्यवाही: नगर विकास विभाग / नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन / जल निगम (नगरीय एवं ग्रामीण))

11- सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एजेंडा बिन्दु संख्या-09 के अन्तर्गत अवगत कराया गया कि उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) से प्राप्त सूचना के अनुसार हिंडन नदी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत तथा गाजियाबाद के लगभग 255 कि०मी० स्ट्रेच के ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। गाजियाबाद से यमुना नदी के मिलान बिन्दु तक लगभग 70 कि०मी० का ड्रोन सर्वे का कार्य किया जाना शेष है। इस सम्बन्ध में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में नदी में वर्षा ऋतु के उपरान्त जल स्तर कम होने पर ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

(कार्यवाहीः नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन / जल निगम (नगरीय एवं ग्रामीण))

12- बैठक में सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एजेंडा बिन्दु संख्या-10 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं सीवेज मैनेजमेंट के सम्बन्ध में प्रदेश स्तरीय सूचना संकलित किये जाने हेतु समिति के सदस्य के रूप में पंचायती राज विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को नामित किये जाने पर विचार किया जाए।

इस संबंध में यह मत स्थिर किया गया कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.06.2019 द्वारा गठित रिवर रिजुवनेशन कमेटी में पंचायती राज विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को सम्मिलित किया जाए।

(कार्यवाहीः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन)

13- सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एजेंडा बिन्दु संख्या-11 के अन्तर्गत अवगत कराया गया कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार विभिन्न नदियों में न्यूनतम ई-फ्लो मेंटेन किया जा रहा है तथा रामगंगा नदी में ई-फ्लो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा निर्धारित किया जाना है। फ्लड प्लेन जोन के रेगुलेशन का कार्य जिला गंगा समिति द्वारा किया जाता है।

(कार्यवाहीः सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)

14- बैठक में उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी विचार-विमर्श करते हुए मत स्थिर किए गए:-

i. नगर विकास विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में निकाय वार जनित ठोस अपशिष्ट एवं प्रोसेसिंग क्षमता/प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में टाइमलाइन सहित विवरण तैयार किया जाए। साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, कंस्ट्रक्शन एवं डिमॉलिशन वेस्ट की मैपिंग नगर विकास विभाग एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा तैयार की जाये। सम्बन्धित विभागों द्वारा तदनुसार सूचना तैयार करते हुए अग्रिम बैठक में समिति के समक्ष सूचना प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही: नगर विकास विभाग / अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)

ii. नगर विकास विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को निर्देशित किया गया कि प्रदेश में जनित होने वाले सीवेज की मैपिंग एवं मात्रा के सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार कर अग्रिम बैठक से पूर्व समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

(कार्यवाही: नगर विकास विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)

15- बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रगति की समीक्षा हेतु

समिति की नियमित रूप से बैठक आहूत की जाए तथा समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सुसंगत सूचनाओं/अनुपालन आख्या सहित बैठक में प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त निर्णयों/निर्देशों के साथ बैठक सद्भावना समाप्त हुई।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
MANEESH MITTAL
Date: 30-10-2026 18:35:49

(मनीष मित्तल)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-736 /81-7-2026-49(पर्या०)/2017
लखनऊ: दिनांक: 02 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/कृषि विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ०प्र०।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
6. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय/ग्रामीण), लखनऊ।
8. निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, उत्तर क्षेत्र, लखनऊ।
9. डॉ० ए०ए० काज़मी, प्रोफेसर, आई०आई०टी०, रुड़की।
10. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
11. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(विवेक कुमार गुप्ता)
उप सचिव।